28/1/21

पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी का कथन है कि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो चुका तथा उक्त प्रकरण में वादीगण कोई कार्यवाही नही चाहते है लेकिन हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्थगन आदेश का अंकित नोट लगा हुआ उसे हटाया जावे। पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी अपने वाद पर आगे कोई कार्यवाही नही चाहता तथा हाल जमाबन्दी में स्थगन आदेश के नोट को हटाने पर तहसीलदार को कोई आपत्ति नही है चूंकि वादी अपने वाद में कोई अनुतोष वर्तमान मे नही चाहता है अत: तहसीलदार अलवर को आदेश दिया जाता है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन आदेश नोट के अंकन को हटाया जावे। चूंकि वाद मे कोई अनुतोष वर्तमान में नही चाहता है अत: वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया)

सहायक कलक्टर
अलवर